न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 31/2017

शीर्षक

1. मंगला पुत्र श्योनाथ जाति जाट, नि0 ढाणी श्यामावाली, तन जाजैकलां, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0 भरथा
2. परता पुत्र श्योनाथ
3. सीताराम } पुत्रान्
4. रामकरण }
5. रमकी देवी } पुत्रियान्
6. सुरजी देवी }
7. पांची देवी }

(3 से 7) स्व0 बोदा उर्फ बोदूराम जाति जाट, नि0 ढाणी श्यामावाली, तन जाजैकलां, तह0 शाहपुरा ,जयपुर (राज0)

8. कालूराम पुत्र चन्दर
9. सुगाराम } पुत्रान्
10. बंशीधर }
11. ग्यारसी देवी } पुत्रियान्
12. संज्या देवी }

(9 से 12) स्व0 साधा जाति जाट, नि0 ढाणी श्यामावाली, तन जाजैकलां, तह0 शाहपुरा ,जयपुर (राज0)

13. मैनेजर, दी जयपुर सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि0 शाखा विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 53 व 188 आर.टी.एक्ट –1955

निर्णय दिनांक 19/06/2019

दावा वादी संक्षेप में इस प्रकार पेश है कि आ0ख0न0 284/0.12, 285/0.11, 286/0.10, 287/0.09, 297/0.06, 326/0.16, 327/0.10, 328/0.10, 351/0.09, 352/0.06, 354/0.17, 791/0.03, 792/0.38, 803/0.26, 804/0.27, 805/0.17, 806/0.06, 851/0.50, 852/0.32, 853/0.35 कुल किता 20 रकबा 3.50 है0 वाके ग्राम जाजैकलां पटवार हल्का रामपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी में भरथा परता बोदा पि0 श्योनाथ हिस्सा 1/2, कालूराम पुत्र चन्दर हिस्सा 1/6, साधा पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/6, मंगला पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/6 दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकित है। सह–खातेदार बोदा पिता श्योनाथ फोत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 3 लगा0 7 है जिनका नाम जरिए नामान्तरण सं0 728 दिनांक 08.04.2013 द्वारा दर्ज राजस्व रिकार्ड हो चुका है तथा सह–खातेदार भरता पिता श्योनाथ फोत हो चुका है जिसका वारिस जगदीश पुत्र भरथा प्रतिवादी सं0 1 जिसका नाम आराजी में जरिये नामान्तरण सं. 765 दिनांक 05.03.2014 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। सह–खातेदार साधा पिता श्योनाथ फोत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 9 लगा0 12 है जिन्होने मृतक साधा की चल अचल सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त की है।

वर्णित आराजी को वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार शामिल में काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वादी ने आ.ख.नं. 852 रकबा 0.32 है0 में पश्चिम दिशा की तरफ अपने आवास व कृषि उपज कृषि यन्त्र आदि के रखरखाव एवं पशु आदि के लिए पुख्ता मकानात का निर्माण कर रखा है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त आराजी में आने जाने के लिए तथा वादी के मकानात में आने जाने के लिए आ.ख.नं. 792, 804, 803 की उत्तरी सीमा पर 12 फुट चौडाई का कदीमी रास्ता बना रखा है। जिसको वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल से प्रदर्शित किया गया है। मृतक साधा के वारिस प्रतिवादी सुगाराम व0 ख.नं. 792 के कुछ भाग पर आवासीय मकान बना रखा है। आ.ख.नं.

तह0 शाहपुरा ,जयपुर (राज0)

12. [illegible] देवी

13. मैनेजर, दी जयपुर सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि0 शाखा विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 53 व 188 आर.टी.एक्ट –1955

निर्णय दिनांक 17/06/2019

दावा वादी संक्षेप में इस प्रकार पेश है कि आ0ख0नं0 284/0.12, 285/0.11, 286/0.10, 287/0.09, 297/0.06, 326/0.16, 327/0.10, 328/0.10, 351/0.09, 352/0.06, 354/0.17, 791/0.03, 792/0.38, 803/0.26, 804/0.27, 805/0.17, 806/0.06, 851/0.50, 852/0.32, 853/0.35 कुल किता 20 रकबा 3.50 हे0 वाके ग्राम जाजैकलां पटवार हल्का रामपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी में भरथा परता बोदा पि0 श्योनाथ हिस्सा 1/2, कालूराम पुत्र चन्दर हिस्सा 1/6, साधा पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/6, मंगला पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/6 दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकित है। सह–खातेदार बोदा पिता श्योनाथ फोत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 3 लगा0 7 है जिनका नाम जरिए नामान्तरण सं0 728 दिनांक 08.04.2013 द्वारा दर्ज राजस्व रिकार्ड हो चुका है तथा सह–खातेदार भरता पिता श्योनाथ फोत हो चुका है जिसका वारिस जगदीश पुत्र भरथा प्रतिवादी सं0 1 जिसका नाम आराजी में जरिये नामान्तरण सं. 765 दिनांक 05.03.2014 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। सह–खातेदार साधा पिता श्योनाथ फोत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 9 लगा0 12 है जिन्होने मृतक साधा की चल अचल सम्पति उत्तराधिकार मे प्राप्त की है।

वर्णित आराजी को वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार शामिल में काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वादी ने आ.ख.नं. 852 रकबा 0.32 हे0 में पश्चिम दिशा की तरफ अपने आवास व कृषि उपज कृषि यन्त्र आदि के रखरखाव एवं पशु आदि के लिए पुख्ता मकानात का निर्माण कर रखा है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त आराजी में आने जाने के लिए तथा वादी के मकानात में आने जाने के लिए आ.ख.नं. 792, 804, 803 की उत्तरी सीमा पर 12 फुट चौडाई का कदीमी रास्ता बना रखा है। जिसको वादपत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शों में बरंग लाल से प्रदर्शित किया गया है। मृतक साधा के वारिस प्रतिवादी सुगाराम वगै0 ख.नं. 792 के कुछ भाग पर आवासीय मकान बना रखा है। आ.ख.नं. 806,792 की भूमि से लगती हुई पश्चिमी दिशा में शाहपुरा से ग्राम छापुड़ा कलां आदि में आवागमन की सड़क है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादी व प्रतिवादी के मध्य वादपत्र में वर्णित आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु अब प्रतिवादी गण घरेलू बातों को लेकर वादी व उसके परिवारजन से मनमुटाव रखने लग गये। प्रतिवादीगण, वादी की भूमि एवं आवासीय मकानात में आने जाने के रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने लग गए है तथा सड़क से लगती हुई ख.नं. 792, 806 की भूमि पर बिना बंटवारा कराये ही वादी के हक हिस्से की भूमि पर भी जबरन पुख्ता दुकानात व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्माण करने पर अमादा है। दिनांक 1306. 2017 को प्रतिवादीगण एक राय होकर आये और सड़क से लगती हुई भूमि ख.नं. 792, 806 में व्यावसायिक उपयोग के लिए पुख्ता दुकानात बनाने के लिए नाप जोख व नींव खोदने लगे तब वादी ने उन्हें बिना बंटवारा कराये वादी के हक हिस्से की भूमि पर नींव खोदने से मना किया तो सभी प्रतिवादीगण नाराज हो गए ऐलानियां धमकी दी कि वे आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा कराये ही वादी के हक हिस्से की भूमि सहित ख.नं. 792 व 806 में पुख्ता निर्माण करेगें। 12 फुट चौड़े कदीमी रास्तें में भी नही आने जाने देगें। रास्ते को काटकर अपनी भूमि में मिलाकर रहेंगें तथा वादी को भूमि से जबरन बेदखल करके रहेगें। प्रतिवादीगण का अब वादी के साथ शामील में काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। इस कारण वादी को उक्त आराजी का कानूनी बंटवारा करवाया जाना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि उक्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा करवाया जावे तथा उक्त बंटवारें को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे। प्रतिवादीगण को हमेशा–हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के बंटवारे में आयी भूमि के उपयोग उपभोग में कोई बाधा पैदा नहीं करे व जबरन बेदखल नही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए, प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस सूचना के अनुपस्थित होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 04.08.2017 को प्रकरण में वादी के निवेदन करने पर प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु आदेश दिए गए। दिनांक 23.01.2018 को तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 9 की ओर से वकील प्रतिवादी ने प्रा0पत्र O 9 R 7 धारा 151 सीपीसी. पेश किया गया। दिनांक 30.04.2018 को वकील वादी द्वारा प्रा0पत्र O 9 R 7 धारा 151 सीपीसी. का जबाव पेश किया गया। दिनांक 13.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प जाजैकलां में O 9 R 7 सीपीसी. स्वीकार किया गया। बंटवारा रिपोर्ट पर उभयपक्षों को सुना गया। उभयपक्षों द्वारा बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति की गई। बंटवारा रिपोर्ट निरस्त कर पुनः बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार शाहपुरा के अपने पत्र क्रमांक LR/18/608 दिनांक 27.08.2018 द्वारा बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई जिसे दिनांक 30.08.2018 को रिकार्ड पर लिया गया। वकील वादी द्वारा दिनांक 08.03.2019 को बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई। वकील उभयपक्षों को आपत्ति कुर्रेजात पर सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्राप्त आपत्ति मुख्यतः ख.नं. 852 से बनाये गये 852/1 रास्ते के संबंध में की गई जिसमें ख.नं. 852 व 852/2 को एक ही खातेदार का होने से 852/1 रकबा 0.02 है0 शामलाती को निरस्त कर एक खसरा नम्बर रखना चाहते है लेकिन ख.नं. 851 व 851/1 जो कि अलग–अलग खातेदार को दिये गये है के लिये रास्ता आवश्यक होने से आपत्ति कुर्रेजात खारिज की जाती है। इसी तरह ख.नं. 327/1 जोकि कि रास्ते के लिए कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया है को हटाने हेतु आपत्ति प्रा0पत्र पेश किया जिसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन तथा वकील उभयपक्ष की बहस में पाया गया कि मौके पर आबादी होने से रास्ता रखा जाना आवश्यक है। अतः आपत्ति कुर्रेजात प्रा0पत्र खारिज किया जाता है।

अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट 27.08.2018 बंटवारा अन्तिम डिक्री किया जाता है। आ0ख0नं0 284/0.12, 285/0.11, 286/0.10, 287/0.09, 297/0.06, 326/0.16, 327/0.10, 328/0.10, 351/0.09, 352/0.06, 354/0.17, 791/0.03, 792/0.38, 803/0.26, 804/0.27, 805/0.17, 806/0.06, 851/0.50, 852/0.32, 853/0.35 है0 कुल किता 20 रकबा 3.50 है0 भूमि वाकै ग्राम जाजैकलां पटवार हल्का रामपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

1. साधा पुत्र श्योनाथ (मृतक) के वारिसान प्रतिवादी सं. 9 लगा0 12 का हिस्सा 1/2, जगदीश पुत्र भरता हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह. खातेदार के बंटवारे में आ0ख0नं0 791/0.003, 792/0.37, 851/0.4150 कुल किता 03 रकबा 0.8150 है0 भूमि ग्राम जाजैकलां एवं आ.ख.नं. 351/0.17, 287/0.09 कुल किता 02 रकबा 0.26 है0 भूमि ग्राम चैना का वाली रहेगी।

2. परसा पुत्र श्योनाथ रहिन S.B.I बैंक शाखा शाहपुरा ...

... प्रतिवादी ने प्रा0पत्र O 9 R 7 धारा 151 सीपीसी ... शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। ... प्रस्ताव मंगवाने ...2018 को वकील वादी द्वारा प्रा0पत्र O 9 R 7 धारा 151 सीपीसी. पेश किया गया। प्रतिवादी ...06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जाजैकलां में O 9 R 7 सीपीसी. का जवाब पेश किया गया। दिनांक रिपोर्ट पर उभयपक्षों को सुना गया। उभयपक्षों द्वारा O 9 R 7 सीपीसी. स्वीकार किया गया। दिनांक निरस्त कर पुनः बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिखा गया। उभयपक्षों द्वारा बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति की गई। बंटवारा LR/18/608 दिनांक 27.08.2018 द्वारा बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई। तहसीलदार शाहपुरा के अपने पत्र क्रमांक ...08.2018 को रिकार्ड पर लिया गया। बंटवारा रिपोर्ट पेश की गई। वकील उभयपक्षों को आपत्ति कुर्रेजात पर सुना गया। वकील वादी द्वारा दिनांक 08.03.2019 को बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति जिसे दिनांक 30. का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्राप्त आपत्ति मुख्यतः ख.नं. 852 से बनाये गये 852/1 रास्ते के संबंध में की गई जिसमें ख.नं. 852 व 852/2 को एक ही खातेदार का होने से 852/1 रकबा 0. 02 है0 शामलाती को निरस्त कर एक खसरा नम्बर रखना चाहते है लेकिन ख.नं. 851 व 851/1 जो कि अलग-अलग खातेदार को दिये गये है के लिये रास्ता आवश्यक होने से आपत्ति कुर्रेजात खारिज की जाती है। इसी तरह ख.नं. 327/1 जोकि कि रास्ते के लिए कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया है को हटाने हेतु आपत्ति प्रा0पत्र पेश किया जिसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन तथा वकील उभयपक्ष की बहस में पाया गया कि मौके पर आबादी होने से रास्ता रखा जाना आवश्यक है। अतः आपत्ति कुर्रेजात प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली

अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट 27.08.2018 बंटवारा अन्तिम डिक्री किया जाता है। आ0ख0नं0 284/0.12, 285/0.11, 286/0.10, 287/0.09, 297/0.06, 326/0.16, 327/0.10, 328/0.10, 351/0. 09, 352/0.06, 354/0.17, 791/0.03, 792/0.38, 803/0.26, 804/0.27, 805/0.17, 806/0.06, 851/0.50, 852/0.32, 853/0.35 है0 कुल किता 20 रकबा 3.50 है0 भूमि वाकै ग्राम जाजैकलां पटवार हल्का रामपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. साधा पुत्र श्योनाथ (मृतक) के वारिसान प्रतिवादी सं. 9 लगा0 12 का हिस्सा 1/2, जगदीश पुत्र भरता हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह. खातेदार के बंटवारे में आ0ख0नं0 791/0.003, 792/0.37, 851/0.4150 कुल किता 03 रकबा 0.8150 है0 भूमि ग्राम जाजैकलां एवं आ.ख.नं. 351/0.17, 287/0.09 कुल किता 02 रकबा 0.26 है0 भूमि ग्राम चैना का वाली रहेगी।

2. परता पुत्र श्योनाथ रहिन S.B.I बैंक शाखा शाहपुरा मुर्तहीन हिस्सा 1/2, कालूराम पुत्र चन्दर हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह. के बंटवारे में आ0ख0नं0 803/0.2450, 806/0.0250, 805/0.0900, 851/1/0. 0850, 853/0.3400, कुल किता 05 रकबा 0.7850 है0 भूमि ग्राम जाजैकलां एवं आ.ख.नं. 328/0.10, 352/0.06, 297/0.03, 286/0.10 कुल किता 04 रकबा 0.29 है0 भूमि ग्राम चैना का वाली रहेगी।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

3. सीताराम रामकरण पि0 बोदूराम, रमकी देवी सरजो देवी पांची देवी पुत्रीयां बोदूराम जाति जाट सा.देह.के बंटवारे मे आ0ख0न0 805/1/0.0800, 806/1/0.0350, 804/3/0.2500 कुल किता 03 रकबा 0.3650 है0 भूमि ग्राम जाजैकलां एवं आ.ख.नं. 351/0.09, 285/0.09कुल किता 02 रकबा 0.18 है0 भूमि ग्राम चैना का वाली रहेगी।

4. मंगला पुत्र श्योनाथ रहिन दी सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा विराटनगर मुर्तहीन जाति जाट सा. देह.के बंटवारे मे आ0ख0न0 852/0.24, 852/2/0.06 कुल किता 02 रकबा 0.30 है0 भूमि ग्राम जाजैकलां एवं आ.ख.नं. 327/0.0940, 297/1/0.03, 284/0.12 कुल किता 03 रकबा 0.2440 है0 भूमि ग्राम चैना का वाली रहेगी।

नोटः– आ.ख.नं. 792/1/0.01, 804/1/0.02, 803/1/0.0150, 852/01/0.02, 853/1/0.01 कुल किता 05 रकबा 0.0750 है0 भूमि ग्राम जाजैकलां एवं आ.ख.नं. 326/0.16, 372/1/0.0060, 285/1/0.0200 कुल किता 03 रकबा 0.1860 है0 भूमि ग्राम चैना का वाली मुताबिक जमाबंदी शामलाती में रहेगी।

कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में दरामद हेतु पर्चा डिक्री जारी हो। साथ ही पक्षकारान को सदैव–सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर